03/10/25

पत्रावली वास्ते डिक्री पेश हुई। उभय पक्ष उप. दावा वादी स्वीकार किया जाता है विस्तृत डिक्री अलग से लिखा जाकर शामिल किया जावे। डिक्री जारी हो। नक्शा से कढ हो।

डिक्री मुरत्तब जावे

GCMS 2018/00233

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.14 18:42:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर उपखण्ड अधिकारी,सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– बी.जे.मीणा आई.ए.एस.

मुकदमा संख्या :– 168/2018

अनवान मुकदमा–

1. गोपालराम पुत्र श्री खेताराम जाति मेघवाल निवासी चक 3 जी.एम.डी. घमण्डिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. चूनीदेवी पत्नी स्व0 श्री बनवारीलाल पुत्र श्री खेताराम जाति मेघवाल निवासी चक 3 जी.एम.डी. घमण्डिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. धन्नाराम पुत्र स्व0 श्री बनवारीलाल पुत्र श्री खेताराम जाति मेघवाल निवासी चक 3 जी.एम.डी. घमण्डिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. क्मला पुत्री स्व0 श्री बनवारीलाल पुत्र श्री खेताराम जाति मेघवाल निवासी चक 3 जी.एम.डी. घमण्डिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. बंशीलाल पुत्र स्व0 श्री बनवारीलाल पुत्र श्री खेताराम जाति मेघवाल निवासी चक 3 जी.एम.डी. घमण्डिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

———वादीगण

बनाम

1. उदीदेवी पुत्री स्व0 श्री खेताराम पत्नी श्री भादरराम जाति मेघवाल निवासी चक 3 एन.डी. तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. बिरमादेवी पुत्री स्व0 श्री खेताराम पत्नी श्री बुधराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मुकन तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. गिरदावरी पुत्री स्व0 श्री खेताराम पत्नी श्री भजनलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम मुकन तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. भागोदेवी पुत्री स्व0 श्री खेताराम पत्नी श्री नारायणराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम दुलमानी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. विधादेवी पुत्री स्व0 श्री खेताराम पत्नी श्री रामलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम मनीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. इमीलाल ———।
7. प्रेम । पुत्रगण स्व0 श्री ... मा पुत्री स्व0 श्री खेताराम जाति

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.14 18:42:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

8. बबलू ———। मेघवाल निवासीयान ग्राम बड़ोपल तहसील पीलीबंगा।
9. कौशल्या देवी पुत्री स्व0 श्रीमति लिक्षमा पत्नी श्री पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी बुर्जमोहर तहसील अबोहर।
10. कमला पुत्री स्व0 श्रीमति लिक्षमा पत्नी श्री पतराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम फतेहगढ़ खिलेरीवास तहसील हनुमानगढ़।
11. सीता पुत्री स्व0 श्रीमति लिक्षमा पत्नी श्री दलीप कुमार जाति मेघवाल निवासी ग्राम फतेहगढ़ खिलेरीवास तहसील हनुमानगढ़।
12. तारूराम पुत्र स्व0 श्री खेताराम जाति मेघवाल निवासी चक 3 जी.एम.डी. घमण्डिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
13. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

———प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा– 88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

उपस्थितीः– श्री बाबूलाल चाण्डक व संजय कुमार चाण्डक अधिवक्तागण वादीगण

श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार अधिवक्ता प्रतिवादी नं0 1 ता 4 व 12

श्री राकेश सारस्वत अधिवक्ता प्रतिवादी नं0 5, 7 ता 11

प्रतिवादी नं0 6 स्वंय उपस्थित।

पेरोकारराज प्रतिवादी नं0 13।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

निर्णय दिंनाकः 03/10/2025

वादीगण ने अपने अभिभाषक के माध्यम से यह वाद–पत्र इस न्यायालय में धारा– 88,188,209 आर0टी0ए0 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया।

वाद–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण के पिता/ससुर/दादा श्री खेता पुत्र साधु जाति मेघवाल के नाम से राजस्व तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वर्तमान चक नं0 3 जी.एम.डी. के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.14 18:42:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प0नं0 72/313 में कि0नं0 1 ता 25 में 25.00 बीघा कमाण्ड रकबा बतौर खातेदारी दर्ज चला आ रहा था। उक्त कृषि भूमि खेता पुत्र लाधु की स्वःअर्जित खातेदारी कृषि भूमि थी।

वादीगण के पिता/ससुर/दादा श्री खेता पुत्र लाधु जाति मेघवाल ने अपने जीवनकाल में अपनी उक्त स्वःअर्जित खातेदारी भूमि बाबत दिंनाक 11/05/2015 को एक रजिस्टर्ड दस्तावेज वसीयतनामा निष्पादित किया था। जिसका विधिवत पंजीयन दिंनाक 11/05/2015 को तत्कालिन उप–पंजीयक सूरतगढ़ के द्वारा किया हुआ है।

खेताराम पुत्र लाधुराम का दिंनाक 06/10/2016 को स्वर्गवास हो चुका है। खेता पुत्र लाधु के वारीसान में से एक पुत्री लिक्षमा का देहान्त हो चुका है। उसके स्थान पर उसके वारीसान को वाद–पत्र में बतौर प्रतिवादी संख्या– 6 ता 11 कायम किया गया है। इसी प्रकार खेता पुत्र लाधु के एक पुत्र बनवारीलाल का भी देहान्त हो चुका है। उसके स्थान पर इस वाद–पत्र में उसके वारीसान को बतौर वादीगण संख्या– 2 ता 5 कायम किया गया है।

खेता पुत्र लाधु ने अपने जीवनकाल में ही अपनी उक्त स्वःअर्जित खातेदारी कृषि भूमि जो चक 3 जी.एम.डी. के प0नं0 72/313 के कि0नं0 1 ता 25 में स्थित 6.325 है0 को जरिए रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिंनाक 11/05/2015 को उस समय कायम अपने तीन पुत्र क्रमश– गोपालराम–बनवारीलाल–तारूराम के पक्ष में निष्पादित कर दी थी।

उक्त वसीयतनामा में निष्पादनकर्ता ने स्पष्ट कर दिया था कि उक्त वसीयतशुदा सम्पति पर जो भी हक व हकूक मेरे जीवनकाल तक मेरे को हासिल है वो तमाम हक व हकूक मेरी मृत्यु के पश्चात मुताबिक वसीयत मेरे पुत्रों गोपालराम–बनवारीलाल–तारूराम पि0 खेता जाति मेघवाल निवासीयान घमण्डिया को बहिस्सा बराबर के हासिल होंगे। खेता पुत्र लाधु की मृत्यु के पश्चात वादाधीन कृषि भूमि की बाबत उक्त दस्तावेज वसीयतनामा वादीगण के हितों पर कानूनः प्रभावी हो चुका था। जब कि उक्त दस्तावेज के प्रभावी होते हुए प्रतिवादीगण ने विधि–विरूद्व तरिके से स्व0 खेता पुत्र लाधु की उक्त समस्त खातेदारी कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में समस्त वारीसान के नाम से विरासतन अंकन दर्ज करवा लिया।

वादीगण [illegible] पत्र के माध्यम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त वादाधीन कृषि भूमि की बाबत चले आ रहे अशूद्व इन्द्राजों को कलमजन करवाने की घोषणा स्वीकार किए जाने एंव मुताबिक रजिस्टर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.14 18:42:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

दस्तावेज वसीयतनामा के आधार पर वादी संख्या– 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या– 2 ता 5 का 1/3 हिस्सा ब0हि0ब0 व प्रतिवादी संख्या– 12 का 1/3 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने की घोषणा स्वीकार करवाने हेतू यह वाद–पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त अनवान की जैरकार पत्रावली पर बाद तामिल प्रतिवादी संख्या– 1 ता 4 व 12 अपने अभिभाषक श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार के माध्यम से उपस्थित हुए व प्रतिवादी संख्या–5, 7 ता 11 भी अपने अभिभाषक श्री राकेश सारस्वत के माध्यम से उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या– 6 स्वंय उपस्थित हुए किन्तु बाद की कार्यवाहीयों में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही के आदेश हुए। प्रतिवादीगण की तरफ से प्रस्तुत जवाब दावा को शामिल पत्रावली किया गया तथा अनेकों अवसर दिए जाने के पश्चात भी जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रतिवादी संख्या– 1 ता 4, 12 व 13 के जवाब दावा बन्द किए गए।

वाद–पत्र एंव प्रस्तुत जवाब दावा के आधार पर इस प्रकरण में कुल 4 तनकियात कायम की गई। प्रथम तीन तनकियात को दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था एंव तनकी नं0 4 का सबंध न्यायालय से था।

वादीगण ने अपने वाद–पत्र की पुष्टि में व कायम की गई तनकी संख्या– 1 ता 3 की बाबत गोपालराम वादी नं0 1, धन्नाराम वादी नं0 3, बंशीलाल वादी नं0 5 के शपथ–पूर्वक बयान दर्ज करवाए तथा प्रदर्श–1 पर प्रमाणित नकल जमाबन्दी चक 3 जी.एम.डी. खाता संख्या– 34/2, प्रदर्श–2 पर रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिंनाक 11/05/2015 दर्ज करवाए। वादीगण ने प्रमाणित नकल सनद खातेदारी बहक खेता पुत्र लाधु उक्त वादाधीन रकबा की प्रस्तुत की। जिससे वादाधीन रकबा खेता पुत्र लाधु का स्वःअर्जित होना बखुबी प्रमाणित हो रहा है। पत्रावली पर वसीयतनामा में अंकित गवाहान के शपथ–पूर्वक बयान भी शामिल किए गए।

प्रकरण पर अभिभाषकगण उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी गहनता से अध्ययन किया गया। वादीगण ने रजिस्टर्ड वसीयत प्रस्तुत की है तथा उसे विधिवत प्रमाणित भी की है। जब कि प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से रजिस्टर्ड वसीयत का खण्डन नहीं कर सके वादीगण ने अपने पक्ष की पुष्टि में न्यायिक निर्णय आर.आर.डी. 1973 पेज 31 व आर.बी.जे. 1997 पेज 308 भी पेश किए है। फलस्वरूप वादीगण वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादाधीन रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.14 18:42:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

की बाबत दर्ज चले आ रहे विरासतन इन्द्राज को निरस्त करवाने की घोषणा स्वीकार करवाने के कानूनः हकदार है। इस प्रकार वाद वादीगण स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड चक 3 जी.एम.डी. के प0नं0 72/313 के कि0नं0 1 ता 25 में स्थित 6.325 है0 रकबा की बाबत दर्ज चले आ रहे विरासतन इन्द्राज को निरस्त किया जाता है तथा रजिस्टर्ड वसीयत दिंनाक 11/05/2015 के आधार पर चक 3 जी.एम.डी. के प0नं0 72/313 के कि0नं0 1 ता 25 में स्थित 6.325 है0 रकबा का वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या– 1 के नाम से 1/3 हिस्सा, वादी संख्या– 2 ता 5 के नाम से 1/3 हिस्सा ब0हि0ब0 व प्रतिवादी नं0 12 के नाम से 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज किए जाने की घोषणा स्वीकार की जाती है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

निर्णय आज दिंनाक 03/10/2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली तरतिब तकमिल दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.14 18:42:05 IST
Reason: SelfAttested

डिकी व मुकदमें इब्तदाई

[आदेश–21 रूल–6,7 जाब्ता दीवानी]

न्यायालय सहायक कलैक्टर उपखण्ड अधिकारी,सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– बी.जे.मीणा आई.ए.एस.

मुकदमा संख्या :– 168 / 2018

अनवान मुकदमा–

1. गोपालराम पुत्र श्री खेताराम जाति मेघवाल निवासी चक 3 जी.एम.डी. घमण्डिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. चूनीदेवी पत्नी स्व0 श्री बनवारीलाल पुत्र श्री खेताराम जाति मेघवाल निवासी चक 3 जी.एम.डी. घमण्डिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. धन्नाराम पुत्र स्व0 श्री बनवारीलाल पुत्र श्री खेताराम जाति मेघवाल निवासी चक 3 जी.एम.डी. घमण्डिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. क्मला पुत्री स्व0 श्री बनवारीलाल पुत्र श्री खेताराम जाति मेघवाल निवासी चक 3 जी.एम.डी. घमण्डिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. बंशीलाल पुत्र स्व0 श्री बनवारीलाल पुत्र श्री खेताराम जाति मेघवाल निवासी चक 3 जी.एम.डी. घमण्डिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

–––वादीगण

बनाम

1. उदीदेवी पुत्री स्व0 श्री खेताराम पत्नी श्री भादरराम जाति मेघवाल निवासी चक 3 एन.डी. तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. बिरमादेवी पुत्री स्व0 श्री खेताराम पत्नी श्री बुधराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मुकन तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. गिरदावरी पुत्री स्व0 श्री खेताराम पत्नी श्री भजनलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम मुकन तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. भागोदेवी पुत्री स्व0 श्री खेताराम पत्नी श्री नारायणराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम दुलमानी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. विधादेवी पुत्री स्व0 श्री ख़ेताराम पत्नी श्री रामलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम मनीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. इमीलाल –––।
7. प्रेम । पुत्रगण [illegible] श्री खेताराम जाति मेघवाल
8. बबलू –––। निवासीयान ग्राम [illegible] पीलीबंगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.14 18:42:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

9. कौशल्या देवी पुत्री स्व0 श्रीमति लिक्षमा पत्नी श्री पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी बुर्जमोहर तहसील अबोहर।

10. कमला पुत्री स्व0 श्रीमति लिक्षमा पत्नी श्री पतराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम फतेहगढ़ खिलेरीवास तहसील हनुमानगढ़।

11. सीता पुत्री स्व0 श्रीमति लिक्षमा पत्नी श्री दलीप कुमार जाति मेघवाल निवासी ग्राम फतेहगढ़ खिलेरीवास तहसील हनुमानगढ़।

12. तारूराम पुत्र स्व0 श्री खेताराम जाति मेघवाल निवासी चक 3 जी.एम.डी. घमण्डिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

13. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

———प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा— 88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

यह मुकदमा आज वास्ते इंफिसाल कितई रूबरू सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ व हाजिरी श्री बाबूलाल चाण्डक,संजय कुमार चाण्डक वकील वादीगण एंव श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार वकील प्रतिवादी नं0 1 ता 4 व 12, श्री राकेश सारस्वत वकील प्रतिवादी नं0 5, 7 ता 11 व पेरोकार राज उपस्थित। वाद वादीगण स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड चक 3 जी. एम.डी. के प0नं0 72/313 के कि0नं0 1 ता 25 में स्थित 6.325 है0 रकबा की बाबत दर्ज चले आ रहे विरासतन इन्द्राज को निरस्त किया जाता है तथा रजिस्टर्ड वसीयत दिंनाक 11/05/2015 के आधार पर चक 3 जी.एम.डी. के प0नं0 72/313 के कि0नं0 1 ता 25 में स्थित 6.325 है0 रकबा का वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या— 1 के नाम से 1/3 हिस्सा, वादी संख्या— 2 ता 5 के नाम से 1/3 हिस्सा ब0हि0ब0 व प्रतिवादी नं0 12 के नाम से 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज किए जाने की घोषणा स्वीकार की जाती है। इस अहकाम की डिक्री जारी की जाती है।

यह डिक्री न्यायालय की मोहर एंव मेरे हस्ताक्षर से आज दिंनाक 03/10/2025 को जारी की गई है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी

सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.14 18:42:05 IST
Reason: SelfAttested